133

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निगरानी-211/तीन/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.11.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 294/अपील/11-12.

श्रीमती प्रभाबाई पिता मोत्या जाति लोहार
निवासी ग्राम घुघरियाखेड़ी तहसील गोगावां
जिला खरगौन, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती दुर्गाबाई पिता मोत्या
   निवासी धनगांव तह. खंडवा
   जिला खण्डवा, म.प्र.
2. श्रीमती सुशीलाबाई पिता मोत्या
   निवासी बीड़बुजुर्ग तहसील गोगावां
   जिला खरगौन
3. श्रीमती मायाबाई पिता मोत्या
   निवासी खरगौन तहसील व जिला खरगौन
4. अनोखीलाल पिता चम्पालाल मृत द्वारा वारिसान
   a) जानकीबाई
   b) कैलाश
   c) सुरेश
   d) गायत्री
   e) सावित्रि
5. हीरालाल पिता चम्पालाल लोहार
   निवासी घुघरियाखेड़ी तहसील गोगावां
   जिला खरगौन, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री राजाराम उपाध्याय, अभिभाषक, आवेदक

श्री रमेश सोनी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1 से 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 30/10/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 17.11.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका प्रभाबाई पिता मोत्या द्वारा तहसीलदार, तहसील गोगावां के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिलोटिया में स्थित सर्वे क्रमांक 7/1, 10, 12 कुल रकबा 9.225 हैक्टेयर भूमि आवेदिका तथा अनावेदकगण के शामलाती खाते में राजस्व अभिलेख में अंकित होकर प्रश्नाधीन भूमि का पारिवारिक बंटवारा पूर्व में हो चुका है तथा मौके पर उपभोग कर रहे हैं। अत: उक्त खाते का बंटवारा आपसी सहमति अनुसार स्वीकृत किया जाये। इस आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 202/अ-27/11-12 दर्ज कर कार्यवाही की गई तथा उद्घोषणा का प्रकाशन कर संबंधित पक्षकारों को सूचना पत्र जारी करने का निर्देश देते हुए पटवारी से मौके अनुसार बंटवारा फर्द तलब की गई तथा बंटवारा फर्द अनुसार आदेश दिनांक 04.10.2011 को स्वीकृत किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 से 3 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, खरगौन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2012 से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2011 निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17.11.2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदिका प्रभाबाई व अन्य द्वारा बंटवारे हेतु पूर्व में हुए बंटवारे को कायम रखकर राजस्व प्रपत्र में बंटवारा चाहा गया था। सहधारक मोत्या, अनोखीलाल एवं हीरालाल के मध्य 40 वर्ष पूर्व मौके पर पारिवारिक बंटवारे अनुसार अपने अपने हिस्से के भाग पर खेती करते चले आ रहे हैं, उसी बंटवारे को तहसीलदार द्वारा सहमति के आधार पर बंटवारा स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अपने आदेश के पेज 2 पैरा 2 पर स्पष्ट रूप से लिखा है। इसमें कोई विधि विरूद्ध काम नहीं हुआ है।

(2) प्रथम बंटवारा तीन भाईयों ने 40 वर्ष पूर्व करके अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। बाद में मोत्या की मृत्यु होने पर उसके वारिस चार पुत्रियों ने मोत्या के हिस्से पर सहमति के बंटवारा दिनांक 10.04.2002 को करके खेडने लगे जो कि मौके पर हिस्से की भूमि की किस्म को देखकर कर लिये थे। वह बंटवारा मौके पर कायम होकर सभी बहनें अलग-अलग काबिज चली आ रही हैं। तहसीलदार द्वारा आदेश में स्पष्ट लिखा है कि "प्रतिप्रार्थीगण द्वारा जवाब में पैरा 3 में उल्लेख किया है कि उक्त भूमि तीन भाईयों की है। मोत्या की मृत्यु बाद उसकी पुत्रियों का नाम दर्ज होकर मोत्या की मृत्यु बाद पुत्रियों के मध्य भूमि का बंटवारा किया जाकर काबिज हो गई हैं।"

(3) प्रकरण में पेश बंटवारा पत्रक दिनांक 10.04.2002 तथा बयानों में उल्लेख 40-50 वर्ष पूर्व मौके पर बंटवारा होना सिद्ध हुआ है स्वयं अनावेदकगण मायाबाई एवं सुशीलाबाई के कथनों से भी सिद्ध हुआ है। तहसलदार द्वारा पूर्व हुये बंटवारे को मान्यता दी गई है। सभी प्रक्रिया विधि के अनुसार हुई है। सभी को पूर्ण अवसर दिया गया है। इस संबंध में 1997 रा.नि. पेज 394 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि बाह्य अपील को देखे बिना ही धारा 5 पर स्पष्ट अभिमत नहीं देकर अपील स्वीकार की गई है, जो कि 4 माह विलंब से पेश हुई, उसका कोई उचित कारण रिकॉर्ड पर नहीं दिया गया है। इस विधि के प्रश्न पर कोई गौर नहीं करके अवधि बाह्य अपील बिना रिकॉर्ड देखे स्वीकार की गई, जो कि विधि विरूद्ध हुआ है। 4 माह का विलंब का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है।

(5) द्वितीय अपील में भी अपर आयुक्त द्वारा समयसीमा के वैधानिक बिंदु पर कोई विचार नहीं किया गया है और इस वैधानिक त्रुटि के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है और अपील को अस्वीकार कर दिया गया है। इस कारण वैधानिक बिंदु पर इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

(6) पूर्व में तहसीलदार द्वारा जवाब एवं साक्ष्य लेकर सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया है तथा अनावेदकगण की साक्ष्य भी रिकॉर्ड पर ली गई है। अधीनस्थ तहसीलदार के आदेश पत्रिका देखने से स्पष्ट होता है।

(7) निगरानी कानूनी आधार पर स्वीकार योग्य है एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत 1997 को देखते हुए बंटवारा हुये बंटवारा पत्रक को आधार मानकर किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं हुई है। इस बंटवारा पत्रक पर सभी चारों बहनों की सहमति ली गई थी।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुये अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 4 के वारिसान एवं अनावेदक क्र. 5 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अनावेदक क्र. 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा अनोखीलाल, हीरालाल, चम्पालाल के मध्य हक स्वत्व के अनुसार तथा मृत मोत्या के वारिस दुर्गाबाई, सुशीला, मायाबाई, प्रभाबाई के मध्य पूर्व में हो चुका होकर अनावेदक क्र. 1 से 3 ने बंटवारा लेख भी प्रस्तुत किया था, किंतु तहसीलदार ने उक्त बंटवारा लेख को नजरअंदाज करते हुए अनावेदक क्र. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत निष्पादित बंटवारा लेख अनुसार बंटवारा न करते हुये मनमाने तरीके से बंटवारा स्वीकृत करने में गंभीर स्वरूप की कानूनी त्रुटि की थी, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2012 द्वारा यथावत रखते हुये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2014 के द्वारा आवेदिका की अपील

आधारहीन होने से अस्वीकार करने में कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं की गई होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

(2) अनावेदकगण का यह तर्क भी है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए तहसीलदार के त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी विधिसंगत मानते हुए यथावत रखने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। इस आधार पर दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

(3) तहसीलदार द्वारा अनावेदक क्र. 1 को किसी प्रकार की कोई सूचना दिये बगैर उसको सुनवाई का अवसर दिये बगैर उसकी अनुपस्थिति में प्रकरण की सुनवाई कर दिनांक 04.10.2011 को बंटवारा आदेश पारित किया था, जो कि प्रक्रिया के विपरीत होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाने एवं अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाने से उसे यथावत रखने में कोई अनियमितता नहीं की है। इसलिये सदर निगरानी निरस्ती योग्य है।

(4) तहसीलदार द्वारा प्रभाबाई को अधिक भूमि के संबंध में कोई भी दस्तावेज व साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी तथा प्रभाबाई के कथन लिये बगैर के हिस्से में अधिक भूमि का बंटवारा स्वीकृत करने में गंभीर स्वरूप की कानूनी त्रुटि की होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश को सही निरस्त किया है। अपील न्यायालयों के आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक क्र. 1 से 3 की प्रस्तुत अपील का बारीकी से अवलोकन व प्रकरण में आई साक्ष्य तथा दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् अनावेदक क्र. 1 से 3 के स्वत्व का हनन होना पाते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने तथा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई गलती नहीं की गई है एवं अपर आयुक्त द्वारा उसे यथावत रखने में कोई गलती नहीं की है।

(6) तहसीलदार ने अभिलेख में संलग्न अनावेदक क्र. 1 से 3 व आवेदिका प्रभाबाई के मध्य हुये पारिवारिक बंटवारा अभिलेख दिनांक 10.04.2002 के अनुसार स्वीकृत नहीं करते हुये अनावेदक क्र. 1 से 3 को कम भूमि हिस्से में दी जाने का आदेश पारित किया गया, जबकि उनके द्वारा पारिवारिक बंटवारा अनुसार बंटवारे की मांग प्रस्तुत आपत्ति में की गई थी।

तहसीलदार द्वारा अनावेदक क्र. 1 दुर्गाबाई तथा अन्य अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया था, जिसके कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई होने से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखे जाने योग्य से अपर आयुक्त द्वारा आवेदिका की अपील निरस्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है।

(7) प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा फर्द का अवलोकन करने में यह स्पष्ट होता है कि मौके पर बंटवारा फर्द बनाते समय अनावेदक क्र. 1 की सहमति स्वीकृति व हस्ताक्षर नहीं लिये गये होने से भी प्रथम दृष्टया ही तहसीलदार का आदेश निरस्ती योग्य होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसे निरस्त करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखे जाने में अपर आयुक्त द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। इसलिये आवेदिका की सदर निगरानी आधारहीन होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्ती योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुये अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने सहमति बंटवारा बताया है, लेकिन वहां सहमति नहीं थी, बयानों में स्वत्व अधिकार बंटवारा मांगा था। बंटवारा फर्द में काट-पीट भी है। असमान बंटवारा होने से अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर उचित आदेश पारित किया गया है तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नही-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश 17.11.2014 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2014 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर